

FROM NO-3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत एस0डी0ओ0

मुकाम

सरवाड़

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सरवाड़
किस्म मुकदमा 136 दुरुस्ती इन्द्राज नं. सन् 2018

तरीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।

न्याय आपके द्वार अभियान -2018 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मे वादी ने प्रार्थना पत्र पेशकर आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सरवाड़ की कैम्प मे ही रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे संवहन से गलत अंकन हो गया है जो शुद्धिकिये जाने योग्य है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आवेदन का नाम व पता	कोल्पा / कल्पाण
वाद ग्रस्त भूमि का विवरण	कल्पाण में 1314 इका 0-19 के कु यष्ट
नाम पटवार हल्का भू0अ0नि0 वृत	स्वीदिपा
वर्तमान (अशुद्ध) प्रविष्टि	कोल्पा / कल्पाण
शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी है।	कोल्पा / कल्पाण

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे शुद्ध / दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राज अदालत
सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)